न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 370 / 2022 दायर दिनाँक 31.08.2022

वादी

1. मो0 अहसान पुत्र दीन मोहम्मद जाति देशवाली निवासी खिंचियाबासनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना
2. जफर हुसैन पुत्र दीन मोहम्मद
3. सफीक पुत्र दीन मोहम्मद
4. अफजल रहमान पुत्र दीन मोहम्मद
5. हारून पुत्र दीन मोहम्मद जाति देशवाली निवासीगण खिंचियाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री कमल मोठ वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 08.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा खिंचियाबासनी, पटवार हल्का चौलुखां, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में राजस्व भूमि पुराना खसरा सं0 12, 13, 149, 151, 146, 155, 157 कुल रकबा 111 बीघा 16 बिस्वा अवस्थित रही है। जिनके नये खसरा सं0 14 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 18 रकबा 0.3500 हैक्टे0, खसरा सं0 19 रकबा 2.2300 हैक्टे0, खसरा सं0 12 रकबा 15.1900 बारानी—1, खसरा सं0 09 रकबा 0.0300 बारानी—1 जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 5 के पिता दीन मोहम्मद पुत्र हबीब कौम देशवाली व 1/2 राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड वर्तमान में संयुक्त खातेदारी दर्ज है व खसरा सं0 139 रकबा 0.9800 बारानी—1, खसरा सं0 140 रकबा 0.4400 बारानी—1, खसरा सं0 55 रकबा 1.6000 बारानी—1, खसरा सं0 16 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 17 रकबा 0.1300 हैक्टे0 मौजा खिंचियाबासनी में अवस्थित है। उपरोक्त आराजियात खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त पहले वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पिता व दादा हबीब खां पुत्र खुदाबक्स का था और उनके स्वर्गवास के पश्चात अब कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का है। नकल जमाबन्दी, खसरा मिलान, एवं गिरदावरी सम्वत् 2006 से आज तक पेश है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उपरोक्त भूमियों पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पिता व दादा पूर्वज मेरा हबीब पुत्र खुदाबक्स की रही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

है। उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का ही है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुंसगत समय से पूर्व भी उक्त भूमियों पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पिता के कब्जा काश्त की ही रही है। कार्यालय भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा बनाया गया प्रपत्र–1 के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पिता व दादा हबीब पुत्र खुदाबक्स का ही है। उक्त प्रपत्र की प्रति पेश है। उक्त पद सं0 1 में वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पिता व दादा हबीब व खुदाबक्स की रही है तथा दीन मोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमियों पर कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का ही है। सम्वत् 2006 से आज तक गिरदावरी पेश है।

यह है कि उपरोक्त समस्त भूमियों पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पिता एवं दादा उनके स्वर्गवास के पश्चात वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के अलावा अन्य किसी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही रहा है। आज भी लगातार बेरोक–टोक वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का ही कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमियों के कुल रकबा 1/2 भाग पर राजस्व महकमा कस्टोडियन दर्ज हो गया जबकि उक्त महमका कस्टोडियन के नाम से खातेदारी वाली भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि रही है जो उपरोक्त खसरा नम्बरान के रकबा के 1/2 भाग की खातेदारी महकमा कस्टोडियन दर्ज है। जिस कारण से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 भाग व अन्य खसरान की खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है:–

यह है कि मौजा खिंचियाबासनी, पटवार हल्का चौलुखां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में राजस्व भूमि पूराना खसरा सं0 12, 13, 149, 151, 146, 155, 157 कुल रकबा 111 बीघा 16 बिस्वा अवस्थित रही है। जिनके नये खसरा सं0 14 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 18 रकबा 0.3500 हैक्टे0, खसरा सं0 19 रकबा 2.2300 हैक्टे0, खसरा सं0 12 रकबा 15.1900 बारानी–1, खसरा सं0 09 रकबा 0.0300 बारानी–1 जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पिता दीन मोहम्मद पुत्र हबीब कौम देशवाली व 1/2 राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड वर्तमान में संयुक्त खातेदारी दर्ज है व खसरा सं0 139 रकबा 0.9800 बारानी–1, खसरा सं0 140 रकबा 0.4400 बारानी–1, खसरा सं0 55 रकबा 1.6000 बारानी–1, खसरा सं0 16 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 17 रकबा 0.1300 हैक्टे0 मौजा खिंचियाबासनी की भूमि [illegible] खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम घोषित की जावें त[illegible] उपर[illegible]नुसार डिक्री वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के [illegible] जारी करने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का पेश हुआ।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, वाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खिंचियाबासनी, पटवार हल्का चौलुखां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में राजस्व भूमि पुराना खसरा सं0 12, 13, 149, 151, 146, 155, 157 कुल रकबा 111 बीघा 16 बिस्वा अवस्थित रही है। जिनके नये खसरा सं0 14, 18, 19, 12, 09, 139, 140, 55, 16, 17 की भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **08.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

दायर दिनाँक 31.08.2022

राजस्व वाद संख्याः 370/2022

वादी

1. मो0 अहसान पुत्र दीन मोहम्मद जाति देशवाली निवासी खिंचियाबासनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना
2. जफर हुसैन पुत्र दीन मोहम्मद
3. सफीक पुत्र दीन मोहम्मद
4. अफजल रहमान पुत्र दीन मोहम्मद
5. हारून पुत्र दीन मोहम्मद जाति देशवाली निवासीगण खिंचियाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 08.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री कमल मोठ वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खिंचियाबासनी, पटवार हल्का चौलुखां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में राजस्व भूमि पुराना खसरा सं0 12, 13, 149, 151, 146, 155, 157 कुल रकबा 111 बीघा 16 बिस्वा अवस्थित रही है। जिनके नये खसरा सं0 14, 18, 19, 12, 09, 139, 140, 55, 16, 17 की भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर,
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:17 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner